संख्या-818/2018/1428/22-2-2018-17(27)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रानी ऊर्फ भुवनेश्वरी पत्नी श्री घनश्याम तिवारी, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29451/प्रोबे0-5/दया0/जि0का0 फतेहगढ़ दिनांक 16-08-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी रानी ऊर्फ भुवनेश्वरी पत्नी श्री घनश्याम तिवारी, निवासिनी- नाला सिम्त सुमाल, थाना-कोत0-फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 03.11.2000 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-172/01 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सेशन जज /विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 18.06.2003 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2016 तक 05 वर्ष, 09 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला **मजिस्ट्रेट** की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी रानी ऊर्फ भुवनेश्वरी (बन्दी संख्या-9041/13) पत्नी श्री घनश्याम तिवारी, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-818/2018/1428(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in